बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या–17 / एल 1–10 / 2018– **पटना, दिनांक–**

डा० विनोद सिन्हा, सहायक निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को अपनी पुत्री के साथ, जिसे किंग्स कॉलेज, लंदन में दिनांक–18 से 20 अप्रैल 2018 को आयोजित किये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है, को दिनांक–**15.04.2018 से 25.04.2018** तक लंदन (विदेश) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है।

1. डा० सिन्हा, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगे।
2. डा० सिन्हा, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगे।
3. डा० सिन्हा, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।
4. डा० सिन्हा, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगे।
5. डा० सिन्हा, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार–पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
6. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।

ह0 / –
(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–17 / एल 1–10 / 2018– 161 / (17) **/ पटना, दिनांक–** 7/3/18

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले0एवंह0), बिहार, पटना / निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना / डा० विनोद सिन्हा, सहायक निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

7/3/18
सरकार के विशेष सचिव।

D/Vibha ji/Passport